रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022021-224904
CG-DL-E-03022021-224904

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 448] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 2, 2021/माघ 13, 1942
No. 448] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 2, 2021/MAGHA 13, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2021

का.आ. 492(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को उक्त तालिका के स्तम्भ क्रमश: (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया जाए समझा जाएगा।

क्र.सं .	**नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं .**	**राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण**
(1)	(2)	(3)
588	320बी	झारखंड राज्य में गोला के निकट रारा 320-के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर बारियातु, पांचा को जोडने वाला और ओरमांझी के निकट रारा 20-के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी, जिसे दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित और बाद में अधिसूचना सं. का. आ. 11 (अ), दिनांकित 01 जनवरी, 2021 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था।

[फा. सं. एनएच-14012/7/2020-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2021

S.O. 492(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
588	320B	The highway starting from its junction with NH-320 near Gola connecting Bariatu, Pancha and terminating at its junction with NH-20 near Ormanjhi in the State of Jharkhand.

Footnote: The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 11 (E), dated 1st January, 2021.

[F. No. NH-14012/7/2020-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2021.02.03 19:36:58 +05'30'